



Neutral Citation No. - 2026:AHC:128571

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 20444/2026

अब्दुल कादिर

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : कृष्ण कांत यादव

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनीं गई।
2. यह जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 124/2026 अंतर्गत धारा 333, 64(1), 115(2), 351(3) बीएनएस, पुलिस स्टेशन टांडा, जिला रामपुर में आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए दायर की गई है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक बेगुनाह है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आगे यह भी कहा गया है कि एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि सूचनाकर्ता के पिता की उंगली में चोट आई थी, लेकिन जब विवेचना के दौरान सूचनाकर्ता के पिता शाहिद का बयान दर्ज किया गया, तो उन्होंने यह आरोप नहीं लगाया कि कथित घटना में उन्हें कोई चोट लगी थी। यह भी कहा गया है कि पीड़ित को कोई अंदरूनी या बाहरी चोट नहीं आई थी। असल में, आवेदक और पीड़िता के पिता के बीच पैसों के विवाद के कारण आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। पीड़िता एक बालिग लड़की थी जिसकी उम्र लगभग 21 साल थी। इस मामले में चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा कि आवेदक 14.04.2026 से जेल में बंद

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



है और यदि उसे ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक को ज़मानत देने की मांग का विरोध किया और कहा कि अपराध में शामिल होने के संबंध में आवेदक के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए वह ज़मानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

5. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों, आरोपों की प्रकृति, रिकॉर्ड पर लाए गए सबूतों, आवेदक द्वारा जेल में बिताई गई अवधि, किसी आपराधिक इतिहास के न होने और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाती है कि आवेदक ने ज़मानत पाने के लिए मामला बना लिया है।

6. इसलिए, ज़मानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है।

7. आवेदक- **अब्दुल कादिर**, जो ऊपर बताए गए मामले में शामिल है, उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार पर्सनल बॉन्ड और समान राशि के दो ज़मानतदार पेश करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह नीचे दी गई शर्तों का पालन करे। साथ ही, रिहाई का आदेश जारी करने से पहले ज़मानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक को यह लिखित वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में मौजूद हों, तो वह सबूत के लिए तय तारीख पर सुनवाई टालने की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय इसे ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकता है।

(ii) आवेदक को तय तारीखों पर विचारण न्यायालय के सामने खुद या अपने अधिवक्ता के ज़रिए मौजूद रहना होगा। बिना किसी ठोस कारण के अनुपस्थित रहने पर, विचारण न्यायालय उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 229-क / बी.एन.एस. की धारा 269 के तहत कार्रवाई कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक विचारण के दौरान ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग करता है, तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सीआर.पी.सी. की धारा 82 / बी.एन.एस.एस. की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है। यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में तय तारीख पर

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



न्यायालय के सामने पेश नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय उसके खिलाफ कानून के अनुसार आईपीसी की धारा 174-क / बी.एन.एस. की धारा 209 के तहत कार्रवाई शुरू करेगा।

(iv) आवेदक को विचारण न्यायालय के सामने इन तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना होगा: (1) वाद शुरू होने पर, (2) आरोप तय होने पर, और (3) सीआर.पी.सी. की धारा 313 / बी.एन.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज होने पर। यदि विचारण न्यायालय को लगता है कि आवेदक जानबूझकर या बिना किसी ठोस कारण के अनुपस्थित रहा है, तो विचारण न्यायालय इस चूक को ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

8. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर ज़मानत रद्द की जा सकती है।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देते समय की गई टिप्पणियों का विचारण न्यायाधीश द्वारा गवाहों के बयान के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

22 जून, 2026

निर्देश

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”